प्रेस विज्ञप्ति
02.10.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ आंचलिक कार्यालय ने शम्सुल हुदा खान व अन्य के विरुद्ध धन शोधन के एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत 53.46 लाख रुपये मूल्य की एक अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्ति, 189.75 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला एक आवासीय भूखंड है, जो शम्सुल हुदा खान के नाम पर पंजीकृत है तथा खलीलाबाद, जिला संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित है।

ईडी ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आईपीसी, 1860 की धारा 419, 420, 467, 471 और 120-बी तथा बीएनएस, 2023 की धारा 318(4) के तहत दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। यह आरोप है कि शम्सुल हुदा खान ने वर्ष 2013 में ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त की थी, किंतु उन्होंने इस तथ्य को छुपाए रखा और स्वयं को भारत के नागरिक के तौर पर प्रस्तुत करते रहे। उसने संत कबीर नगर जिले में अचल संपत्ति खरीदने के लिए अपने सरेंडर किए गए भारतीय पासपोर्ट के साथ-साथ अपने पैन, आधार और वोटर आईडी का धोखाधड़ी से उपयोग किया। उसने मुबारकपुर, आजमगढ़ के एक सरकारी सहायता प्राप्त मदरसे में शिक्षक का पद भी संभाले रखा और सरकारी खजाने से वेतन तथा सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करते रहे।

जांच में यह बात सामने आई है कि शम्सुल हुदा खान ने 19.12.2013 को ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त कर ली थी जिसके परिणामस्वरूप उनकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो गई थी। इसके बावजूद, उन्होंने इस तथ्य को छुपाया और आज़मगढ़ के मुबारकपुर स्थित एक सरकारी सहायता प्राप्त मदरसे में सहायक अध्यापक के रूप में काम करते रहे। अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ़ विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई एक जांच से पता चला कि 2007 से 2017 के बीच उनकी सेवा का सत्यापन कभी हुआ ही नहीं था। इसके बावजूद उन्हें 2017 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के साथ-साथ नियमित पेंशन भी प्रदान की गई।

सरकारी खजाने से उनके बैंक खाते में वेतन, पेंशन और जीपीएफ के रूप में 53.46 लाख रुपये प्राप्त हुए थे, जो अपराध से अर्जित आय है। चूंकि इस धनराशि का उपयोग किया जा चुका है, इसलिए समतुल्य मूल्य की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया है।

उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व इस मामले में, ईडी ने 11.02.2026 को दो परिसरों की तलाशी ली थी, जिसके दौरान ईडी द्वारा पीएमएलए के प्रावधानों के तहत अपराध-संकेती दस्तावेज जब्त किए गए थे।

आगे की जांच जारी है।